

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर बैंक भोपाल ईम ५०

पुनरीक्षण याचिका क्र० :-- /2014 R-3024-PBR/14

प्रस्तुती दिनांक :-- 28/8/2014

याचिकाकर्तागण:- 1/ राकेश आयु लगभग 38 वर्ष आ० स्व० रेवाशंकर जी शर्मा,
 2/ श्रीमति रजनी आयु लगभग 44 वर्ष, पुत्री स्व० रेवाशंकर जी शर्मा,
 3/ श्रीमति पुष्पाबाई आयु लगभग 65 वर्ष पत्नी स्व० श्री रेवाशंकर जी शर्मा,
 सभी निवासी- गोलापुरा वार्ड क्र०-1 जयप्रकाश नारायण वार्ड हरदा तहसील हरदा जिला हरदा
 याचिकाकर्ता क्र०-2 वर्तमान निवासी -भोपाल ईम०५०५०५

श्री संदीप डूने अभिभावक द्वारा आज दिनांक 28-8-14 को भोपाल बैंक पर डस्टुत।

(Signature)
28-8-14

विद्व

उत्तरवादीगण:- 1/ श्रीमति शोभना आयु लगभग 45 वर्ष पत्नी स्व० राजेश
 2/ सौरभ आयु लगभग 25 वर्ष आ० स्व० राजेश शर्मा
 3/ सिखर आयु लगभग 19 वर्ष आ० स्व० राजेश शर्मा,
 4/ कु० शरवर्षा ईनावालिंग पुत्री स्व० राजेश शर्मा,
 वदारा वली एवं माँ श्रीमति शोभना शर्मा,
 सभी निवासी गोलापुरा, वार्ड क्र०-1 जयप्रकाश नारायण वार्ड हरदा, तहसील हरदा. जिला हरदा

~~30-8-14~~

पुनरीक्षण याचिका अंगित धारा 50 म०५०भू०रा०सं० 19 59

उपरोक्त याचिकाकर्तागण, न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय हरदा म०५०, वदारा रा०५०क्र०- 52अ/27वर्ष 2013-14 ग्राम खेड़ीमेहमूदाबाद तहसील हरदा, जिला हरदा में पारित आदेश दिनांक 23/8/2014 की अनियमितता एवं अवैधानिकता तथा प्रकरण में की जा रही नितांत अनियमित कार्यवाहियों से क्षुब्ध होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर अपनी यह पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत करते है।

पुष्पाबाई शकेश शर्मा रजनी शर्मा

1.7.2015

आवेदन की ओर से ही
संक्षेप लुके अभियांत्रिकी उपस्थित
होकर प्रकृत नवी चर्चा का
अनुसंधान किया गया। अनुसंधान
स्वीकार किया जाता है। प्रकृत
नवी चर्चा के कारण समाप्त
किया जाता है।

अध्यक्ष

FO: 11

NR01/07/15

DF
117

SW